

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं० 166 /2024

रेलवे बोर्ड के पत्र सं० PC/V/2009/ACP/2 दिनांक 10.06.09 (RBE No. 101/2009) तथा PC/2016/MACP/1 दिनांक 19.12.2016 (RBE No. 155/2016) एवं (RBE No. 87/2018) द्वारा जारी MACP योजना के तहत सुयोग्यता जाँच में सफल एवं DAR/SPE/Vig. केस से मुक्त होने के उपरांत आरआरसी/पटना में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाये गये ग्रेड पे/लेवल में वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करते हुए वित्तीय उन्नयन की देय तिथि से वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/सर्वश्री	पदनाम, लेवल एवं कार्यस्थल	वित्तीय उन्नयन दिये जाने के पूर्व वेतन		वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित वेतन		अम्बुडित
			तिथि	वेतन (रु०) एवं लेवल	तिथि	वेतन (रु०) एवं पे लेवल	
1	सुधीर कुमार	निजी सचिव- II लेवल-7 आरआरसी/पटना	01.07.24	68000/- लेवल-7	30.07.24	70000/- लेवल-8	तृतीय वित्तीय उन्नयन

यदि कर्मचारी चाहें तो नियम 1313 आर- II एवं RBE No. 90/2016 दिनांक 28.07.2016 के पैरा 10 के तहत वित्तीय उन्नयन पर वेतन निर्धारण हेतु एक माह के अंदर विकल्प दे सकते हैं। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

Digitally Signed by Manoj
Ku Choudhary
Date: 26-07-2024 10:08:08
Reason: Approved
कृते महाप्रबंधक/का०/हाजीपुर
Dated : 26-07-2024

E Office file No.ECR-HQ0PERS(ESTP)/12/2023

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

- प्रविस/पूमरे/हाजीपुर
- निजी सचिव- II/मुकाधि (प्रशा०)/पूमरे/हाजीपुर
- अध्यक्ष, आरआरसी/पटना
- सकाधि/बिल/पूमरे/हाजीपुर
- संबंधित कर्मचारी
- अभिलेखप्रति